Date 3/4/2012

छत्तीसगढ़ विधान सभा

मार्च-अप्रैल, 2012 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 4 अप्रैल, 2012 (चैत्र 15, 1934)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री, वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय बर्ष 2010-2011 **पटल पर रखेंगे.**

(2) श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री, कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008 - 09 **पटल पर रखेंगे.**

(3) श्री रामविचार नेताम, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की धारा 31 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का षष्ठम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (1 जुलाई, 2010 से 30 जून, 2011) **पटल पर रखेंगे.**

(4) श्री रामविचार नेताम, उच्च शिक्षा मंत्री, महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) की धारा 40 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी के परिनियम, अध्यादेश व विनियम **पटल पर रखेंगे.**

(5) श्री रामविचार नेताम, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 के अधीन बनाये गये छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 के नियम 22 एवं नियम 23 के उपनियम (घ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 **पटल पर रखेंगे.**

(6) श्री केदारनाथ कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 24 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का षष्ठम् द्विवार्षिकीय प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 एवं 2010-2011 **पटल पर रखेंगे.**

(7) श्री केदारनाथ कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री, वक्फ अधिनियम, 1995 (क्रमांक 43 सन् 1995) की धारा 98 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2005-2010 एवं 2010-2011 **पटल पर रखेंगे.**

क्रमश: 2

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य, प्रदेश में राइनों स्पोरोडिओसिस बीमारी का प्रकोप होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री कुलदीप सिंह जुनेजा, भजन सिंह निरंकारी, डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य, दुर्ग एवं बालोद जिले में ट्रैक्टर फायनेंस के नाम पर किसानों के साथ धोखाधड़ी किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य, प्रदेश में नक्सली गतिविधियों में वृद्धि होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री संतोष बाफना, सदस्य, बस्तर संभाग में महाविद्यालयों में प्राध्यापकों / सहायक प्राध्यापकों की कमी होने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री रामजी भारती, सदस्य, राजनांदगांव जिले के मानपुर विकासखण्ड में पदस्थ अनुदेशकों को मानदेय नहीं दिये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य, जिला-रायपुर अंतर्गत मांढर ब्रांच केनाल पर अवैध रूप से बाउंड्रीवाल बनाये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य, प्रदेश में बीज एवं कीटनाशक दवाईयों की खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) सर्वश्री नंद कुमार पटेल, देवजी भाई पटेल, रविन्द्र चौबे, सदस्य, जिला-रायपुर के खरोरा थाना अंतर्गत गिरफ्तार भैंसा निवासी एक व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा में मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य, प्रदेश में बायोमॉसचूल्हा खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री महंत रामसुंदर दास, सदस्य, जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के मुख्य सड़क मार्गों का निर्माण कार्य अपूर्ण होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, बस्तर क्षेत्र के सुकमा थाना अंतर्गत एक व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा में मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य, रायपुर जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों में व्याप्त अव्यवस्था होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री रविन्द्र चौबे,सदस्य,प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, अंबिकापुर स्थित सैनिक स्कूल में आग लगने की घटना की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य, प्रदेश में मिलावटी खाद्य पदार्थो की बिक्री किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सर्वश्री अमरजीत भगत, टी.एस. सिंहदेव, सदस्य, जिला-सूरजपुर, तहसील ओड़गी के ग्राम ठाड़पाथर निवासी एक व्यक्ति की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य, उदया गृह निर्माण सहकारी समिति टाटीबंध, रायपुर द्वारा प्लाटों का अवैध विक्रय किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, प्रदेश में धान खरीदी केन्द्रों में धान भीग कर खराब होने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य, प्रदेश में विद्युत दरों में वृद्धि किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) सर्वश्री देवजी भाई पटेल, अग्नि चंद्राकर, सदस्य, आरंग के ग्राम पारागांव के समीप महानदी से रेत का अवैध उत्खनन किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

क्रमशः 3

(21) श्री गुरु रूद्रकुमार, सदस्य, हरित क्रांति विस्तार योजना अंतर्गत कृषकों को दिये जाने वाले बीज, खाद एवं प्रोत्साहन राशि में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य, कबीरधाम जिले के विकासखण्ड-लोहारा, ग्राम-रणवीरपुर में संचालित शराब दुकान बंद न किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, जिला अस्पताल कांकेर में एक्सपायरी दवाईयों का वितरण किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य, प्रदेश में खनिज संपदा का अवैध उत्खनन किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, कोरबा जिले में लीलागर नदी पर एस. व्ही. पावर प्लांट हेतु एनीकट निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) सर्वश्री रामदयाल उइके,धर्मजीत सिंह,महंत रामसुंदर दास, सदस्य, कटघोरा थाना अंतर्गत पूर्व माध्यमिक शाला, कुटेश्वर नगोई की आदिवासी छात्रा के साथ अनाचार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री राजकमल सिंघानिया, सदस्य, जिला बलौदाबाजार अंतर्गत-
- (i) ग्राम बल्दाकछार महानदी घाट पर पुल निर्माण करने,
- (ii) ग्राम मोहान को धारासीव के बंजर भूमि में बसाने,
- (iii) ग्राम खटियापाटी के मल्लिन नाले पर पुल निर्माण करने,

(2) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सदस्य, प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत-
- (i) ग्राम घुटिया में कांक्रीट टब निर्माण करने,
- (ii) ग्राम बोंगा से झाझमजीरा तक पुल-पुलिया सहित सडक निर्माण करने,
- (iii) ग्राम भेलकच्छ से जनकपुर तक पुल-पुलिया सहित सड़क निर्माण करने,

(3) श्री भोलाराम साहू, सदस्य, खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कुहीखुर्द में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,

(4) श्री ताम्रध्वज साहू, सदस्य, बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत-
- (i) ग्राम गुधेली में पशु औषधालय खोलने,
- (ii) बेमेतरा में इंजीनियरिंग महाविद्यालय खोलने,
- (iii) सोंढ़ केनाल का लायनिंग कार्य करने,
- (iv) देवकर से बचेड़ी-कुम्हीगुड़ा-भाठासोरही-सोढ़ तक मार्ग का डामरीकरण करने,
- (v) ग्राम सिंघौरी से मनियारी मार्ग पर नाले पर पुल निर्माण करने,

(5) श्री परेश बागबाहरा, सदस्य, खल्लारी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत-
- (i) बकमा-बटोरा मार्ग पर पुल निर्माण करने,
- (ii) ग्राम घुंचापाली कला में हाई स्कूल खोलने,
- (iii) ग्राम मुढ़ीपार में हाई स्कूल खोलने,
- (iv) ग्राम परसदा में हाई स्कूल खोलने,
- (v) ग्राम बेल्डीह में हाई स्कूल खोलने तथा
- (vi) ग्राम एम.के.बाहरा में हाई स्कूल खोलने

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

क्रमशः 4

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. रमन सिंह,मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक,2012 (क्रमांक 6 सन् 2012) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) डॉ. रमन सिंह,मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) विधेयक,2012 (क्रमांक 7 सन् 2012) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

30 मिनट (3) डॉ. रमन सिंह,मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक,2012 (क्रमांक 6 सन् 2012) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

30 मिनट (4) डॉ. रमन सिंह,मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) विधेयक,2012 (क्रमांक 7 सन् 2012) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

6. प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि करने का प्रस्ताव

(1) श्रीमती नीलिमा सिंह टेकाम,सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, प्रस्ताव करेंगी कि :- ग्राम हथबंध, जिला रायपुर स्थित गुरूकुल बाल आश्रम से एक बच्ची को बेचे जाने के संबंध में महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति को संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये.

(2) श्री बद्रीधर दीवान, सभापति, सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति, प्रस्ताव करेंगे कि : - दिनांक 18 से 21 मार्च, 2010 तक बिलासपुर के विश्राम गृह एवं अन्य स्थानों पर ठहरने की व्यवस्था के दौरान शासन के निर्देशों, शिष्टाचार क्रम के पालन संबंधी कार्यवाही पर, सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये.

(3) श्री नारायण चन्देल, सभापति, सदन की जांच समिति प्रस्ताव करेंगे कि - रोगदा जलाशय को हस्तांतरित करने और इससे संबद्ध विषयों पर जांच हेतु गठित सदन की समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये.

(4) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति प्रस्ताव करेंगे कि - साल बीज संग्रहण में अनियमितता के संबंध में जांच हेतु प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये.

(5) श्री दीपक कुमार पटेल, सभापति, विशेषाधिकार समिति, प्रस्ताव करेंगे कि -सभा की अवमानना संबंधी विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये.

रायपुर
दिनांक 3 अप्रैल, 2012

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.